(b) if so, what are the details of the schemes;

(c) whether these schemes are being implemented in Andhra Pradesh also; and

(d) if so, the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes covered by these schemes in Andhra Pradesh so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) While no separate scheme in this regard has been drawn up for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they are also covered by the general medical aid programmes.

(b) to (d) Do not arise.

दिल्ली के पूर्वी भाग में गंगा के पानी की सप्लाई

3701. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के पूर्वी भाग मे स्थित कितनी कालोनियो को गगा का पानी सप्लाई किए जाने का विचार है ;

(ख) गंगा के पानी की सप्लाई कब तक शुरू हो जाने की आशा है ;

(ग) इस सबध मे कुल कितना खर्च होने की संभावना है ;

(घ) क्या वर्ष 1988 के दौरान गौतमपुरी कालोनी में भी गगा के पानी की सप्लाई करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हा तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिह) : (क) से (ग) लक्ष्मी नगर तथा शकरपुर क्षेत्र की 29 कालोनियो को नगर निगम का पानी दिए जाने की सम्भावना है और लाइनो के जून, 1988 तक चालू हो जाने की आशा है। परिधीय तथा आन्तरिक पानी की मुख्य लाइने बिछाने मे 170.47 लाख रुपये की कुल लागत का अनुमान लगाया गया है।

(घ) तथा (ङ) परिधीय सिस्टम वाली लाइनो बिछाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इसके दिसम्बर, 1988 तक पूर्ण हो जाने की सभावना है। गौतमपुरी का पानी की आपूर्ति कब तक की जाएगी जब आन्तरिक मुख्य लाइने बिछा दी जाएंगी जिसके लिए अनुमानो को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिए जारी किए गए लाइसेंस

3702. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पंजीयक सहकारी समिति, दिल्ली प्रशासन द्वारा जिन सहकारी समितियो को उपभोक्ता सहकारी भडारो के लिए लाइसेंस दिए गए है, उनकी सख्या कितनी है तथा उनके नाम और पते क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी प्रकार की जाच किए बिना ही इन समितियो को लाइसेंस जारी कर दिए गए है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो क्या किसी खुफिया एजेन्सी द्वारा इस मामले की जाच कराए जाने का विचार है ; यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चालू सहकारी वर्ष के

दौरान 26 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार पंजीकृत किए गए हैं। सहकारी समितियों के नाम तथा पते दर्शाने वाली सूची विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वे उपभोक्ता सहकारी भंडारों का पंजीकरण उपयुक्त के करने के पश्चात् करते है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चालू सहकारी वर्ष के दौरान पंजीकृत किए गए प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडारों के नाम तथा पते

1. श्री गणेश कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लिमिटेड ए 1/70, खजूरी खास कालोनी, दिल्ली-53

2. नरेश कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., आर-40, ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली

3. दि शालीमार बाग कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि. बी एच-699 ए शालीमार बाग, दिल्ली

4. सीलमपुर कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि०, बी-107, न्यू सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली

5. श्री चन्दा कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., 1022/3/बी/2, मन्नी सराय, मूजी मंडी, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली

6. पोस्सांगी पुर कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., डब्ल्यू जैड-99, पोस्सिगी पुर, जनकपुरी, नई दिल्ली।

7. न्यू विकास कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि०, एफ-88 न्यू सीलम पुर, दिल्ली

8. महिन्द्र कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., आर जैड-ए 42 महिन्द्र पार्क, नई दिल्ली

9. दि बुद्ध नगर कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., बी-442, जे. जे. कालोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली

10. दि ग्रामीण भारतीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, डब्ल्यू० जैड-361, मादीपुर, गांव, नई दिल्ली

11. चेतन्य कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., 657, गोतम विहार, दिल्ली-53

12. मयूर विहार कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., कोटला गाव, मयूर विहार, दिल्ली

13. बंसल कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., 326, मोहल्ला महाराम, शाहदरा, दिल्ली

14. कांता कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., एम-48, ब्रह्मपुरी, शाहदरा, दिल्ली

15. दि सिटि कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि० 405, गली न० 3 मोहन पुरी, शाहदरा, दिल्ली

16. श्री दुर्गे कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि., 141-ए, मैन बाजार पटपडगंज, दिल्ली-92

17. शाहीपुर कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि०, शाहीपुर गाव, शालीमार-बाग दिल्ली-52

18 शोभित कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि0, 14-ए, रशीद मार्किट, दिल्ली-51

19. डी. ए. सी. आर. कर्मचारी कंज्यूमर कोप्रापरेटिव स्टोर लि०, ए. जी. सी. आर. बिल्डिंग, नई दिल्ली।

20. डिपार्टमेंट आफ बाइओटेक्नोलोजी इम्पलाइज कोआपरेटिव केंटीन लि०, ब्लाक, 2 (सातवां तल), सी० जी ओ० कम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।

21. दि शिव कज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , मं० नं० 107, दुकान नं० 13, गली नं० 9, संत नगर, दिल्ली ।

22. अजीत नगर कज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , 4600 गली नं० 4, अजीत नगर, दिल्ली ।

23. गुलशन कज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि एस–117/11, उस्मानपुर, दिल्ली ।

24. दि सारनाथ कज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , एफ–4/291, जे जे कालोनी, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली ।

25. सोनू कज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि०, 3651/9, शांति मोहल्ला, दिल्ली ।

26 पटपड़गज कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर लि , ए–8, आचार्य निकेतन, पटपड़गंज, दिल्ली–92 ।

उचित दर की दुकानो का रद्द किया जाना

3703. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक, आयुक्त खाद्य और नागरिक पूर्ति दिल्ली प्रशासन को, उचित दर की दुकानो के ऐसे कितने दुकानदारो से आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिनकी डीलरशीप किसी आरोप पर रद्द कर दी गई थी तथा बाद मे इन दुकान रो ने दिल्ली उच्च न्याय लय से इसके विरुद्ध निर्णय ले लिय था ;

(ख) सबधित दुकानदारो के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वतमान आयक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करते हुए कुछ आवेदन-पत्रो को नामंजूर कर दिया था ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध मे किसी खुफिया एजेंसी की मार्फत जांच कराने का विचार रखती है और क्या सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान मे रखते हुए आयुक्त द्वारा भूतपूर्व दुकानदारो से प्राप्त सभी आवेदन-पत्रो का निपटान करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हा, तो इस सबंध मे ब्यौरा क्या है और इन्हे कब तक निपटा दिये जाने की सभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच के एल भगत) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली स्पेसिफाइड आर्टिकल (रेग्यूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1981 के खड 4 के तहत केवल उपायुक्त/सहायक आयुक्त ही उचित दर की दुकान के प्राधिकार को निलम्बित/रद्द करने के लिए अधिकृत है । रद्द करने सबधी आदेश के विरुद्ध अपील उपर्युक्त आदेश के खंड 6 के तहत, आयुक्त खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कार्य विभाग, दिल्ली प्रशासन के सम्मुख की जा सकेगी । दिल्ली प्रशासन के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी अपीलो की सख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	प्राप्त अपीलों की सख्या
1985 . .	23
1986 . .	25
1987 (8–12–87 तक) . .	23